

प्रेषक

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ़

सेवा मे.

प्रबन्धक,

एसी०एन०इंटरनेशनल स्कूल

कासिमपुर रोड, अलीगढ़।

पत्रांक / बैठमान्यता / २८१५५

/ 2013-14

दिनांक— २७-११-१३

विषय— नि॒शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि॒शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय,

आपके तारीख 29.08.2013 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वीर्य पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मे॒-एसी०एन०इंटरनेशनल स्कूल कासिमपुर रोड अलीगढ़ को तारीख 01.07.2013 से तारीख 01.07.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा प्री प्राइमरी से कक्ष 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संस्कृता देता है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है।

१—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्ष 8 के पश्चात्‌ मान्यता/संवधन करने के लिये कोई वायता विद्यित नहीं है।

२—विद्यालय नि॒शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009(उपांक्ष-1) और नि॒शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांक्ष-2)के उपक्षेत्रों का पालन करेगा।

३—विद्यालय कक्ष 1 में (या यथास्थिति निर्सरी कक्षा में) उस कक्ष में बालकों की संख्या के 20प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि॒शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

४—पैस-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपक्षेत्र के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक् तैयार स्थान रखेगा।

५—सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

६—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूत्तर न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपक्षेत्र का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(1)—प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2)—किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3)—प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)—प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकृति किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)—अधिनियम के उपक्षेत्र के अनुसार नि॒शक्ता ग्रन्थ/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6)—अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकृति न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह है कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अंजित करेगे।

(7)—अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(8)—अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

७—विद्यालय समुचित ग्राहिकारी द्वारा अधिकृति पाठ्यक्रमों के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

८—विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—

विद्यालय परिसर का शेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र
कीड़ा—रथल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक—सह कार्यालय—सहमण्डारागार के लिये कक्ष
वालक और वालिकाओं के लिये पृथक शीचालय
पंथजल सुविधा
गिड—डे—मील पकाने के लिये रसोइं
वाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करो/पुरतकालय की उपलब्धता

- 9—विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं बनाई जाएंगी।
- 10—विद्यालय भवनों या अन्य सरचनाओं या कीड़ा—रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकाश के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विद्यि के अधीन गठित किसी तोक न्यास द्वारा बनाया जा रहा है।
- 12—रकूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाग के लिये नहीं बनाया जा रहा है।
- 13—विद्यालय के लेखाओं की वित्ती चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कामियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
- 16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17—सलग्न उपायक के अनुसार अन्य कोई शर्त।

मवदीय

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ़

प्रेषकः

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र० शासन।

सेवा में

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 08 मई, 2013

तिपयः अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-437/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुकम्म में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा० उच्चतम् न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहज स्थीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के संपर्कत निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक / शर्तों को उ0प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्थितों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्रम प्राविकारों द्वारा मान्यता प्रत्याहारित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहारण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में सदाचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयन भाग के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

अग्नि

(4) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।

(5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवनों की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय-समय पर समीक्षा के अन्तर्गत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण-पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निरापद विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर.इ.एस. के जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनके विवरण निम्नवत् हैं :-

1. ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित भवन-अवर अभियन्ता
2. एक से अधिक मंजिल के विद्यालय -सहायक अभियन्ता

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप व टंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्ष-कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं।

एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की सीढ़ियों जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार बनायी गयी हो ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न दो।

(6) विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणतार कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाय ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।

(7) नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त असहायतित विद्यालय स्वयित्व पोषित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में मानक एवं शर्तें :-

यदि विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के कम में निर्ति ८०४० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी तथा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने की अनिवार्यता होगी :-

- (क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एवं 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
- (ख) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- (ग) भारत के संविधान में प्राविधिक राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समर्माव तथा मानवीय मूल्याङ्कों संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (घ) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- (ङ) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- (च) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (छ) विद्यालय का खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (ज) बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आंख्या एवं सूचनाये निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (झ) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित धौषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक/शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 माह के अन्दर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
- (झ) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 60 दिन के भीतर जिला विद्यालयों द्वारा शर्त पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके संदर्भ में इस आशय का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विवादित मामलों में शिक्षा निदेशक (बैठ) का आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
- (ट) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जायेगी, जो आन्यता की निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे विद्यालयों को कमियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा विद्यालयवार कमियों का विवरण देवसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा। कमियों का निराकरण विद्यमित्र अयोगी में सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवश्यक रूप से कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो ०३०० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली द्वारा होने की तिथि से ०३ वर्ष के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगायी जा सकती है, और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

(3) मान्यता समिति :-

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता हेतु मण्डल स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जो निम्नवत् होगी :-

- | | |
|---|------------|
| 1- सम्बन्धित सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) | अध्यक्ष |
| 2- सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य सचिव |
| 3- जनपद का वरिष्ठतम् खण्ड शिक्षा अधिकारी | सदस्य |

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त प्रपत्र मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-२) पर विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

(4) अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें :-

आवेदन की अहता

शिक्षा के क्षेत्र में लचि, रखने वाले व्यक्तियों अथवा किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं :-

- (1) प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर (प्राइमरी स्तर के पूर्व की दो कक्षायें तथा कक्षा-१ से ५ तक की कक्षायें)।
- (2) प्राइमरी स्तर (कक्षा-१ से ५ तक)।
- (3) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षायें तथा कक्षा-१ से ६ तक की कक्षायें)।

(5) मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की प्रक्रिया :-

(1)-निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित शुल्क (बैंक ड्राप्ट के रूप में जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम हो, जिसे सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के संगत लेखाशीर्षक में राजकोष में चालान द्वारा जमा किया जायेगा)।

- 5 -

निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निशुल्क एवं अनिवार्य गाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-1) प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रस्तर-4 के बिन्दु (1) व (2) पर अंकित स्तरों की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क ₹0 2000/- तथा क्रमांक-3 पर अंकित प्रस्तर की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क ₹0 3000/- सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखांशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2)- विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में ₹0 10000/- (₹0 दस हजार मात्र) की एन०एस०सी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेज़ छोड़ होगी।

(3)- आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी जांच/निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषय से संबंधित विद्यालयों को भी सूचित किया जायेगा। निरीक्षण हेतु जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने जायेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य/प्रतिनिधि उपरिथित हों, जिससे स्थानीय जनता को जानकारी हो सके कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण वास्तव में किया गया है। निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों में जो कर्मियों पायी जायें, उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतांत्र को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। विद्यालय की आपत्तियों सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को स्वप्रमाणित आपत्ति निवारण आख्या (तीन प्रतियों में) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राप्त आख्या का परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति मान्यता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

(6) वित्तीय शर्त

मान्यता की उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा।

(क) विद्यालय का संदान ₹0 20,000/- मूल्य की धनराशि का होगा। वह संदान सम्पत्ति अथवा नकद रूप में रखी जा सकती है यथा :-

- (1) नकद धनराशि।
- (2) सरकारी जमानत।
- (3) अचल सम्पत्ति।

टिप्पणी :-

यदि संदान नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिमूल होना चाहिए। अचल सम्पत्ति

के विषय में प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्ति के बेचने तथा तदर्थ विधि-पत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आङ्गा के बिना स्थानान्तरित नहीं की जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र भी लिया जायेगा। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण-पत्र किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका के एकीकृतिव आफिसर अथवा उर्मि नगर अधिकारी का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान द्वारा रु 5000/- की धनजाशि का एक रखाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा फौजी आर्डिनेन्स फैक्टरियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान और रखाई कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु ऐसी किसी संस्था को संचालित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिए आवश्यक प्राविधान होना चाहिए।

(7) मान्यता

आवश्यकता:- (1) विद्यालय को मान्यता तभी प्रदान की जायेगी जब विद्यालय के कैचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्नवत होना अपेक्षित है:-

| | |
|---|-------------------|
| (क) प्री-प्राइमरी तथा प्राइमरी | 200 (07 कक्षायें) |
| (ख) प्राइमरी | 150 (05 कक्षायें) |
| (ग) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल | 275 (10 कक्षायें) |
| (घ) प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल | 225 (08 कक्षायें) |

प्रदेश के शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछडे क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की न्यूनतम छात्र संख्या क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन०सी०ई०आर०टी०/एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित अथवा वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन-पाठन न कराया जाय और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय न ही अभ्यास पुस्तकाओं पर विद्यालय का नाम मुद्रित कराकर क्रय हेतु बाध्य किया जाय, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

Z~

(8) भौतिक संसाधन

(1) भवन

(क)

विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।

(ख)

मान्यता के लिये प्राथमिक/जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। परन्तु कक्ष कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्ष कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चे कक्ष में शैक्षणिक गतिविधियाँ, सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। विद्यालय में प्रस्तुतालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।

(ग)

प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलंग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।

(घ)

छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक् मूल्रालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ङ)

विद्यालय में सीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(च)

विद्यालय भवन का बाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(2) क्रीड़ा स्थल

खेलकूद के लिये यथा संभव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के सारीप क्रीड़ा क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए जहाँ कबड्डी, बालीबॉल, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, खो-खो आदि जैसे खेलों हेतु निर्धारित स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएं कर सकते हैं।

विशेष:-

बालिका विद्यालयों के लिए क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार घनी आबादी वाले नगर क्षेत्र में बालिका के विद्यालयों में, जहाँ स्थानाभाव हो, क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। क्रीड़ा स्थल के अभाव में किसी विद्यालय को मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(3) साज-सज्जा एवं उपकरण

विद्यालय में छात्र/छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार वैठने के लिए उपयुक्त आकार की कुर्सी, स्टूल, बैंच, गेजें तथा अध्यापकों के लिए कुर्सी, गेज उपलब्ध होने चाहिए।

(4) पुस्तकालय

प्राथमिक विद्यालयों कक्षा-5 के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषय की कक्षा-5 तक की पुस्तकें तथा जूनियर स्तर के विद्यालयों में कक्षा-8 तक की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद प्रसरण के तथा त्रिप्रिकाओं की भी व्यवस्था की जा सकती है।

(5) विज्ञान रामग्री

विद्यालय में वाद्ययानानुसार आवश्यक विज्ञान रामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

(6) विज्ञान रामग्री

प्रामाणी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण रामग्री उपलब्ध होने चाहिए।

(7) सामग्री संसाधन

सामग्री तैतनमान, सेवा शर्तें

(क) प्री-प्राइमरी तो कक्षा-8 तक के शिक्षण के लिए उपरोक्त निःशुल्क और अनिवार्य वाले विकास का अधिकार नियमावली-2011 की घास-8 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अहंताधारी अध्यापक/अध्यार्थिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए काम से काम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त वाले शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।

(ख) विद्यालय के आवश्यकतानुसार लिपिक एवं घर्जर्श श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति का जानी आवश्यक है। चौकीदार, आमा एवं जपारु कर्मचारी की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति भान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणतार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।

(ग) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा निवासाली बनाकर प्रत्युत भी जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवेशान्वय, स्पाइकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं नियमित प्रतिशोध व स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

सेवा नियमावली में अवकाश, प्रेशन, ग्रेचुटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणवारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

प्रबन्धाधिकरण के सकाम अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणतार, कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी

(3)

9-

कर्मचारी) के मध्य विधि भान्य सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताकरित करना होगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी कार्डलय में सुरक्षित रखी जायेगी।

उल्लंघन

गान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना नासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो ऐध्यात्मकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान बहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अलाएरित शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में रोजाना भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय हारा निम्नलिखित गटों में शुल्क लिया जा सकता है:-

- 1- शिक्षण शुल्क, 2- महंगाई शुल्क, 3- विकास शुल्क, 4- विजाली वानी आदि, 5- पुस्तकालय एवं वायनालय, 6- विज्ञान शुल्क, 7- श्रव्य शुल्क, 8- टीवी शुल्क, 9- परीक्षा/मूल्यांकन, 10-विद्यालय समारोह/उत्सव, 11- विद्यार्थी की शिक्षा- एम्यूटर / संगीत आदि।

गोट:-

- 1- पंजीकरण शुल्क, भग्न शुल्क तथा कैपीटेशन के लिए गोट पीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।
- 2- गान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलागीत समूह के वर्षीय बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, परन्तु यह प्रतिवर्ष असहायता प्राप्त अल्पराख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।
- 3- विद्यालय बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानवर्गों को स्थानियत देंगा।

(१०) शौक्षिक सत्र 2013-14 की गान्यता प्रदान करने के संबंध में समाय

प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रालिपि-१ के अनुसार स्वर्घोषणा-सह-आवेदन पत्र जो सम्बन्धित जनपद के जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में पूर्व से लगायित हैं, उन आवेदन पत्रों पर समयबद्ध रूप से दिनांक 30 जून, 2013 तक भरीन भान्यता विषयक शर्तों के आलोक में भान्यता के संबंध में भान्यता समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

गोट:- जिस आवेदित विद्यालयों द्वारा उवत्त निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन नहीं किया हो, उनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक सत्रों की भान्यता हेतु

कामियों को पूरा किये जाने के उपरान्त मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(1) शैक्षिक सत्र 2014-15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों के लिए गान्यता हेतु आवेदन करने और गान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में समय सारिणी:-

विद्यालय को गान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालयके प्रबन्धक/राक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वधोषणा-सहावेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला देसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जायेगा तथा मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र का निरसारण शम्भु-सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जायेगा:-

| | |
|---|---------------------------|
| 1. राम्यनिधि जिला देसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र उमा करना। | 01 जुलाई से 31 अगरता |
| 2. पापा हुए आवेदन पत्रों के बारे रार्ब साधारण को जानकारी दिया जाना। | सितम्बर प्रश्नम राष्ट्राद |
| 3. आवेदन करने वाले विद्यार्थ्य का निरीक्षण | 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर |
| 4. राम्यनिधि जिला देसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा रोक्ष्या को नवम्बर से बनी/शर्ते पूरी करने हेतु सुनित किया जाना। | दिसम्बर |
| 5. उल्लेख कराऊ के प्रत्यावेदन स्वीकार करना। | जनवरी-फरवरी |
| 6. दिल देसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत विद्यालय का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र की रास्ताति पर भारतीय समिति द्वारा निर्णय लेना। | मार्च |
| 7. जिला देसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गान्यता आदेश जारी करना। | 31 मई तक |

टॉट- मान्यता समिति द्वारा वैटकें वर्ष में दो बार नवम्बर एवं मार्च में आहुा की जाएगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को नवम्बर माह में आहुा टैक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति द्वारा आदेश दिसम्बर में निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों के बारे करने वाले विद्यालयों को पूरा कराकर मार्च में आहुा टैक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर 31 मई तक मान्यता आदेश जिला देसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(12) गुन्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

शैक्षिक सत्र 2014-15 से मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया आन लाइन द्वारा जिला देसिक सम्बन्धी देश साइट का पता तथा आवेदन प्रक्रिया के सम्बन्ध में दुन दिन निर्देश पुस्तक से निर्गत किये जायेंगे।

(13) गलत की मान्यता का प्रत्याहरण ...

जहाँ जिला देसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हैं कि मान्यता ग्रहण

किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक रो अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में दूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(अ) - विद्यालय की मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इग्रेट करते हुए विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।

(ख) - निर्धारित अधिक में यदि विद्यालय प्रबन्धांत्र से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 15 दिन की अवधि में एक निस्तरीय समिति, जिरां शासकीय प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षाविद भी समिलित होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता पारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण लिथ के एक भाष्म (01) की अपेक्षा में रायचित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त रायित का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के रायस्थां को परिवर्तित करने का अधिकार सोगा।

(ग) समिति की आव्यास के आधार पर सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा, एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने जी लिथ में अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के रायस्थ में 45 दिन के अंदर मान्यता समिति का निर्णय प्राप्त कर लेंगे।

(घ) मान्यता रायित के निर्णय प्राप्ति के 07 दिन के अंदर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का गुखरित आदेश (speaking order) जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का आदेश तत्काल अनुकर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में से उन पड़ोशी विद्यालयों के नाम भी इग्रेट किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश ने सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राज्यीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञाप्ति प्रकाशित की जायेगी। इसे बैपसार्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

१

- 12 -

(14) यूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अत्यरिक्त विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिकोण औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में गान्धी वीं शताब्दी के उल्लोधन से संबंधित यदि कोई प्रतिकूल लक्ष्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को रथायी मान्यता प्राप्त हो जाएगी।

कृपया उक्त ग्रन्तियों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
संलग्नक—यथोक्त।

भद्रीय,

१३
(सुनील कुमार)

प्रभु ख सचिव।

राष्ट्रया एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समरत जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (वै0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, वैसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय राहायक शिक्षा निदेशक(वैसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समरत जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समरत अधिकारी/अनुभाग।
8. गाँड़ फार्मल।

ग्रन्ति—

आङ्ग से,

(गगता श्रीवारसव)
संयुक्त सचिव।